

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा रवारथ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्र संख्या-३५ / लिपिक / २९ / २०१९ /

देहरादून: दिनांक - २२ / ०६ / २०१९

-: आदेश :- .

शारनादेश संख्या-३० / XXX-२ / २०१८-३०(१३)२०१७, दिनांक-०६.०२.२०१८ में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत रथानान्तरण रात्र २०१९-२० ऐतु महानिदेशालय रतर पर गठित रथानान्तरण रामिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लिपिक संवर्ग पदधारक को उनके नाम के राम्युख अंकिता कॉलग राख्या-०४ से कॉलम संख्या-०५ में उल्लिखित नई तैनाती रथान पर निजी अनुरोध पर तात्कालिक प्रभाव से रथानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का रथान	नई तैनाती का रथान	अम्युक्ति
1	2	3	4	5	6
१.	श्री भाष्करानन्द जोशी	वरिष्ठ सहायक	सामु०रख्या०केन्द्र गिकियारौण, अल्मोड़ा	सामुदायिक रवारथ्य केन्द्र, गढरपुर, उधमसिंह नगर	निजी अनुरोध

- १- राम्यन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के ०१ सप्ताह के भीतर प्रतिरथानी की प्रतीक्षा किये विना कार्यभार से मुक्त/ ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रभार्य-पत्र रागी राम्यन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले साम्यन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्ट कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- २- उक्त रथानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश रवैकृत किया जाये।
- ३- रथानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त रथानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आवरणी नियमावली-२००३ के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- ४- दुर्गम क्षेत्र में रथानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यगार ग्रहण न करने की रिथति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- ५- निजी अनुरोध पर रथानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का रथानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- ६- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन साम्यन्धित कार्मिक के नई तैनाती रथान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या-३५ / लिपिक / २९ / २०१९ / १२१३। तददिनांकित।

- १- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- २- निदेशक, चिकित्सा रवारथ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ गण्डल, नैनीताल।
- ३- गुरु चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा / उधमसिंह नगर।
- ४- मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा / उधमसिंह नगर
- ५- साम्यन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- ६- गार्ड फाईल।

(ए०ए०१० सौगर)
संयुक्त निदेशक(प्रशासा)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्र संख्या-३४/लिपिक/२९/२०१९

देहरादून: दिनांक- २२/०६/२०१९

-: आदेश :-

शासनादेश संख्या-३०/XXX-२/२०१८-३०(१३)२०१७, दिनांक-०६.०२.२०१८ में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र २०१९-२० हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लिपिक संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-०४ से कॉलम संख्या-०५ में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर निजी अनुरोध पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री हरीश लाल	प्रधान सहायक	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर	जवाहर लाल नेहरू जिला चिकित्सालय, उधमसिंह नगर	निजी अनुरोध

- १- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के ०१ सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- २- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत किया जाये।
- ३- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली-२००३ के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- ४- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- ५- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-गत्ता आदि देय नहीं होगा।
- ६- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
गहनिदेशक

पत्र संख्या-३४/लिपिक/२९/२०१९/ १२१६५ तददिनांकित।

- १- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- २- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- ३- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर।
- ४- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू जिला चिकित्सालय, उधमसिंह नगर।
- ५- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/उधमसिंह नगर।
- ६- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- ७- गार्ड फाईल।

(ए०एस० सौंगर)
संयुक्त निदेशक(प्रशासा)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्र संख्या-३५/लिपिक/२९/२०१९/।२।२५।

देहरादून: दिनांक- २२।०६।२०१९

-: आदेश :-

शारानादेश संख्या-३०/XXX-२/२०१८-३०(१३)२०१७, दिनांक-०६.०२.२०१८ में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत रथानान्तरण सत्र २०१९-२० हेतु महानिदेशालय रतर पर गठित रथानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लिपिक संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित क्रॉलम संख्या-०४ से कॉलम संख्या-०५ में उल्लिखित नई तैनाती रथान पर जनहित में तात्कालिक प्रभाव से रथानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का रथान	नई तैनाती का रथान	अम्युक्ति
1	2	3	4	5	6
१.	श्री ललित जोशी	प्रधान सहायक	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधमसिंह नगर	जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़	जनहित

- १- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के ०१ सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- २- उक्त रथानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत किया जाये।
- ३- रथानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त रथानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली-२००३ के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- ४- दुर्गम क्षेत्र में रथानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- ५- निजी अनुरोध पर रथानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का रथानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- ६- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती रथान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या-३५/लिपिक/२९/२०१९/

तददिनांकित।

- १- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- २- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- ३- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधमसिंह नगर।
- ४- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़।
- ५- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंह नगर/पिथौरागढ़।
- ६- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- ७- गार्ड फाईल।

(ए०एस० सौंगर)
संयुक्त निदेशक(प्रशासा)

आवश्यक / महत्वपूर्ण

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-३प/लिपिक/29/2019/ १२१५०

देहरादून: दिनांक- २२/०६/२०१९

—: आदेश :-

शासनादेश संख्या-३०/XXX-२/२०१८-३०(१३)२०१७, दिनांक-०६.०२.२०१८ में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत रथानान्तरण सत्र २०१९-२० हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित रथानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुगोदन के क्रम में निम्नलिखित लिपिक संवर्ग पदधारक को उनके नाम के समुख अंकित कॉलम संख्या-०४ से कॉलम संख्या-०५ में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर जनहित में तात्कालिक प्रभाव से रथानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री कायम रजा जैदी	वरिष्ठ सहायक	सामु०स्वा०केन्द्र लक्सर, हरिद्वार	सामु०स्वा०केन्द्र हिन्दोलाखाल, टिहरी गढ़वाल	जनहित

- 1— सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के ०१ सप्ताह के भीतर प्रतिरथानी की प्रतीक्षा किये विना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2— उक्त रथानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत किया जाये।
- 3— रथानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त रथानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली-२००३ के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4— दुर्गम क्षेत्र में रथानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की रिस्ति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5— निजी अनुरोध पर रथानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का रथानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6— उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

पत्र संख्या-३प/लिपिक/29/2019/

तददिनांकित।

- 1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2— निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3— मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/टिहरी गढ़वाल।
- 4— मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/टिहरी गढ़वाल।
- 5— सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6— गार्ड फाईल।

(रविन्द्र थुपलियाल)
महानिदेशक

(५०४८० सौंगर)
संयुक्त निदेशक(प्रशासा)

आवश्यक / महत्वपूर्ण

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वारथ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-३४/लिपिक/२९/२०१९/

देहरादून: दिनांक- २२/०६/२०१९

-: आदेश :-

शासनादेश संख्या-३०/XXX-२/२०१८-३०(१३)२०१७, दिनांक-०६.०२.२०१८ में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत रथानान्तरण रात्र २०१९-२० हेतु महानिदेशालय रतर पर गठित रथानान्तरण रामिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लिपिक संघर्ष पदधारक को उनके नाम के सामुख्य अंकित कॉलम संख्या-०४ से कॉलम संख्या-०५ में उल्लिखित नई तैनाती रथान पर निजी अनुरोध पर तात्कालिक प्रगाह रो रथानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का रथान	नई तैनाती का स्थान	अम्युक्ति
1	2	3	4	5	6
१.	श्री दीपक वहुगुणा	वरिष्ठ सहायक	सामु०स्वाँ०केन्द्र पैठाणी, पौड़ी गढ़वाल	सामु०स्वाँ०केन्द्र विकासनगर, देहरादून	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के ०१ सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना कार्यभार रो मुक्ता/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र रामी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त रथानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत किया जाये।
- रथानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त रथानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली-२००३ के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में रथानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की रिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर रथानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का रथानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती रथान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या-३४/लिपिक/२९/२०१९/ १२१६-

तददिनांकित।

- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वारथ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(ए०एस० सौंगर)
संयुक्त निदेशक(प्रशासा)

पत्र संख्या-3प/लिपिक/29/2019/

—: आदेश :—

शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019-20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित रथानान्तरण रामिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लिपिक संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सामुख्य अंकित कॉलग संख्या-04 से कॉलग संख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर जनहित में तात्कालिक प्रभाव से रथानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अम्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री कंचन कुमार भगत	कनिष्ठ सहायक	वेस चिकित्सालय हल्दानी, नैनीताल	कार्यालय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर	जनहित

- 1— सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2— उक्त रथानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत किया जाये।
- 3— रथानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त रथानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलावाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी-आचरणी नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4— दुर्गम क्षेत्र में रथानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5— निजी अनुरोध पर रथानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का रथानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6— उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/लिपिक/29/2019/ | 2155 | तददिनांकित।

- 1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2— निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- 3— मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर।
- 4— प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, वेस चिकित्सालय हल्दानी, नैनीताल।
- 5— मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
- 6— सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 7— गार्ड फाईल।

(ए०एस० सैंगर)
संयुक्त निदेशक(प्रशासा)

-: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप रथानान्तरण सत्र 2019-20 हेतु महानिदेशालय रत्तर पर गठित रथानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लिपिक संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम रांख्या-04 से कॉलम रांख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती रथान पर जनहित में तात्कालिक प्रगाच रो रथानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का रथान	नई तैनाती का रथान	अन्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री पारस विष्ट	कनिष्ठ सहायक	सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र मोतीनगर, हल्द्वानी	कार्यालय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र राखी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुश्रूत्सनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त रथानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत किया जाये।
- 3- रथानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त रथानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से उत्तराने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में रथानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की रिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- निजी अनुरोध पर रथानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का रथानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती रथान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/लिपिक/29/2019/ 12157 तदिनांकित।

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- 3- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़।
- 4- प्रधानाचार्य, सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र मोतीनगर, हल्द्वानी।
- 5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
- 6- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 7- गार्ड फाईल।

(ए०एस० सौर्योदाय)
संयुक्त निदेशक(प्रशासन)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

देहरादून: दिनांक- २८।०६।२०१९

पत्र संख्या-३प/लिपिक/29/2019/

-: आदेश :-

शासनादेश संख्या-३०/XXX-२/२०१८-३०(१३)२०१७, दिनांक-०६.०२.२०१८ में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत रथानान्तरण सत्र २०१९-२० हेतु महानिदेशालय रत्तर पर गठित रथानान्तरण रामिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लिपिक संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-०४ से कॉलम संख्या-०५ में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर निजी अनुरोध पर तात्कालिक प्रभाव से रथानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अम्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सुनील कुमार भण्डारी	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग	वेस चिकित्सालय कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के ०१ सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र-पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त रथानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश रवैकृत्यकिया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त रथानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली-२००३ के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में रथानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की रिथति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- निजी अनुरोध पर रथानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का रथानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्न थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या-३प/लिपिक/29/2019/ १२१६।

तददिनांकित।

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
- 4- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, वेस चिकित्सालय कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।
- 5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग/पौड़ी गढ़वाल।
- 6- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 7- गार्ड फाईल।

|||
(४०एस० सैंगर)
संयुक्त निदेशक(प्रशासा)

आवश्यक / महत्वपूर्ण

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प / लिपिक / 29 / 2019 /

देहरादून: दिनांक - २२।०६।२०१९

-: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30 / XXX-2 / 2018-30(13)2017, दिनांक-06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019-20 हेतु महानिदेशालय रत्तर पर गठित समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लिपिक संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम रांख्या-04 से कॉलम रांख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर जनहित में तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अम्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती ललिता देवी	वरिष्ठ सहायक	प्रारंभिक केन्द्र मोटाहल्टू, नैनीताल	सामुरख्याकेन्द्र काण्डा, बागेश्वर	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिरथानी की प्रतीक्षा किये विना कार्यभार से मुक्त/ ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
गहानिदेशक

पत्र संख्या-3प / लिपिक / 29 / 2019 / 12145

तददिनांकित।

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- 3- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/ बागेश्वर।
- 4- मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/ बागेश्वर।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

II
(ए०एस० सैंगर)
संयुक्त निदेशक(प्रशासा)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/लिपिक/29/2019/

देहरादून: दिनांक- २२। ०६। २०१९

-: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत रथानान्तरण सत्र 2019-20 हेतु महानिदेशालय रत्तर पर गठित रथानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लिपिक संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती रथान पर जनहित में तात्कालिक प्रभाव से रथानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का रथान	नई तैनाती का रथान	अम्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री राकेश कुमार गुप्ता	वरिष्ठ सहायक	सामु०स्वा०केन्द्र रायपुर, देहरादून	सामु०स्वा०केन्द्र वैलेश्वर टिहरी गढ़वाल	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त रथानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत किया जाये।
- 3- रथानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त रथानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में रथानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- निजी अनुरोध पर रथानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का रथानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती रथान से आहरित किया जाये।

(रिविन्ड्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/लिपिक/29/2019/ | २।५-८-

तददिनांकित।

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल/देहरादून।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल/देहरादून।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

II
(ए०एस० सैंगर)
संयुक्त निदेशक(प्रशासा)

आवश्यक / महत्वपूर्ण

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्र संख्या-3प/लिपिक/29/2019/

देहरादून: दिनांक- २२/०६/२०१९

-: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019-20 हेतु महानिदेशालय रत्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लिपिक संवर्ग पदधारक को उनके नाम के समुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर जनहित में तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सुभाष चन्द्र	वरिष्ठ सहायक	प्रा०स्वा०केन्द्र ईमलीखेड़ा, हरिद्वार	प्रा०स्वा०केन्द्र पाटीसैण, पौड़ी गढ़वाल	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्थीरूप किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गग क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/लिपिक/29/2019/ 12149

तददिनांकित।

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी
- 3- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी गढ़वाल।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी गढ़वाल।
- 5- राम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(ए०प०३० र०८०८)
संयुक्त निदेशक(प्रशासा)